अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2013

सा.का.नि. 717 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण अकानूनी कैंटीन परिचर समूह 'ग' और समूह 'घ' भर्ती नियम, 2002 को, जहाँ तक उनका संबंध टी/काफी मेकर और बैरा के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण में कैंटीन परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, अकानूनी कैंटीन परिचर, समूह "ग" पद, भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**– उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, और अर्हताएं आदि.**– भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
1	2	3	4	5	6
कैंटीन परिचर	4' (2012)/13 ' कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है'।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड–1, 5200–20200रू + ग्रेड वेतन 1800रू	लागू नहीं होता	25 वर्ष से अधिक नहीं । केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनूसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है **टिप्पण** : आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षित अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्त/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्त/आमेलन किया जाएगा।
7	8	9	10	11
किसी मन्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति –समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:– (i) निदेशक, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, – कोलकाता –अध्यक्ष (ii) कार्यालय का प्रधान, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, – कोलकाता –सदस्य (iii) कार्यालय का प्रधान, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, – कोलकाता –सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 02–18/2012–सी.एस.जैड]

जेरोम मिंज, उप-सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2013

G.S.R. 717 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Environment and Forests, Zoological Survey of India, Non-statutory Canteen, Group 'C' and Group 'D' Posts, Recruitment Rules, 2002, in so far as they relate to the posts of Tea/ Coffee Maker and Bearer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Canteen Attendant in the Ministry of Environment and Forests, Zoological Survey of India, namely:-

1. **Short title and commencement.**– (1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forests, Zoological Survey of India, Non-statutory Canteen, Canteen Attendant, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**– The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**– The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**– No person,–

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Canteen Attendant	4* (2012) *Subject to variation dependenton workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay-Rs. 1800	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
6	7	8	9	10
Not exceeding 25 years. (Relaxable for Government servants	Matriculation or equivalent pass from a recognised Board	Not applicable	Two years	Direct recruitment

up to 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.				

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- 4. Director, Zoological Survey of India, Kolkata –Chairman; 5. Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata – Member; 6. Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata –Member	Not applicable

[F. No. 02-18/2012-csz]

JEROME MINZ, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2013

सा.का.नि. 718 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1963 को उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण में प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण, (प्रयोगशाला सहायक) समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**– उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4606 GI/13-4